06/9/19 अभि. अपीलान्ट/रेस्पो उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर नि.
दिनांक 04/10/19 को पेश हो।

04/10/19 अभि. अपीलान्ट/रेस्पो उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर निगम
दिनांक 08/11/19 को पेश हो।

08/11/19 अभि. अपीलान्ट/रेस्पो उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना होकर निगम
दिनांक 06/12/19 को पेश हो।

06/12/19 पत्रावली प्रस्तुत हुई। आवि. उभयपक्ष उपस्थित। आधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09/12/2019 को पेश हो।

09/12/19 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति यही है कि सुयोग्य आधिकारिता न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अपार्थी को कोई प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति दिलाये एवम् इस हेतु कोई अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी, जो गलत है। इसके जवाब मे आधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को विधि सम्मत बताते हुये अपील खारिज किये जाने की इल्तुजा की।

हमने उभयपक्षो की बहस के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की
	511/2017 रामकुमार / सन्तोष	

के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 21/6/17 मे किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा उनकी बहस सुने जाने का कोई अंकन किये बगैर ही अपने स्तर पर आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रकरण मे कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/6/2017 पारित किया गया है, जो न्यायसंगत प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है एवम् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारो को जवाब एवम् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: विधिसम्मत आदेश पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/1/2020 को उपस्थित होवे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राज.))